फार्म जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2017

राजस्थान ललित कला अकादमी

जे–15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

संस्था की सम्बद्वता एवं आर्थिक अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1. संस्था का नाम .....
2. पता .....
   .....
   .....
3. पंजीकरण वर्ष एवं संख्या .....
4. संस्था के सदस्यों के नाम .....
   पते एवं पदाधिकारियों की
   सूची
5. स्थापना वर्ष .....
6. गत तीन वर्ष की आडिट रिपोर्ट .....
7. गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट .....
8. संस्था की भावी योजनाएं .....
9. संविधान की प्रतिलिपि .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के पदाधिकारियों ने राजस्थान ललित कला अकादमी के लिये सम्बद्वता के नियम एवं उप–नियमों को पढ़ लिया है एवं हम नियमों से सहमति के पश्चात् यह आवेदन प्रेषित कर रहे हैं। संस्था के सदस्य पूर्ण रूप से अकादमी के नियमों के पालन हेतु वचनबद्व हैं।

सचिव

हस्ताक्षर एवं संस्था की मोहर

स्थान :

दिनांक :

राजस्थान ललित कला अकादमी,

जे–15 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

कला संस्थाओं को मान्यता एवं आर्थिक सहायता देने के नियम

1. राजस्थान की कोई अव्यवसायिक कला संस्था जो प्लास्टिक कला के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष से कला को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने एवं शोध का कार्य कर रही हो, अकादमी द्वारा मान्यता दिये जाने के लिये आवेदन कर सकती है।
2. यह संस्थान राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत होना चाहिए ।
3. अकादमी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर संस्था मान्यता हेतु अकादमी के सचिव को प्रार्थना–पत्र भेजे और प्रार्थना पत्र के साथ संविधान की एक प्रति, अन्तिम वार्षिक रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट एवं संस्था के सदस्यों के नाम, पतों की एक सूची संलग्न की जाए।
4. अधूरे आवेदन को पूरा करने एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को अकादमी सचिव, संस्थान से सम्पर्क कर पूरा करेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अकादमी की कार्यकारिणी की अगली बैठक में रखेंगे ।
5. कार्यकारिणी आवेदनों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें सामान्य सभा को देगी जो किसी भी सिफारिश को उपस्थित और गत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई सदस्यों के कहने पर नामंजूर कर सकती है । परन्तु सामान्य सभा के निर्णय देने तक कार्यकारिणी किसी भी संस्था को अस्थाई मान्यता दे सकती है ।
6. संस्था के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये अकादमी के प्रतिनिधि या अधिकारी उन संस्थाओं में जा सकेंगे।
7. वार्षिक प्रतिवेदन तथा आडिट किये गये लेखे नियमित रूप से अकादमी को भेजे जाएं।
8. यदि कोई संस्था मान्यता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन करती है जो अकादमी के हितों या सिद्वातों के प्रतिकूल हो तो अकादमी को मान्यता रद्द करने का पूरा अधिकार होगा ।
9. यदि किसी संस्था का संविधान अकादमी के हितों, उद्देश्यों या सिद्वांतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो अकादमी किसी भी समय उस संस्था को अपने संविधान में संशोधन करने को कह सकती है।
10. यदि कोई संस्था किसी ऐसे ढंग से कार्य करती है जो अकादमी उद्देश्यों या सिद्वान्तों के प्रतिकूल हो तो अकादमी उस संस्था से ऐसे कार्य न करने को कह सकती है।
11. यदि कोई संस्था न. 9 में उल्लिखित सुधार नहीं करती या न. 10 में उल्लिखित कार्यवाई नहीं करती है तो अकादमी की कार्यकारिणी साधारण सभा से सिफारिश कर सकती है एवं साधारण सभा संस्था को दी गई मान्यता रद्द कर सकती है ।
12. संस्था में कम से कम 10 कलाकारों, कला समीक्षकों का सदस्य होना आवश्यक है एवं कला संस्थाओं को अपने क्रियाशील सदस्यों की सूची अकादमी कार्यालय को प्रतिवर्ष प्रेषित करना होगा।
13. साधारण सभा किसी भी ग्रुप संस्था को जिसका पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पुराना हो एवं आवेदन की सम्पूर्ण शर्तों को पूरा करते हो, ऐसी संस्थाओं को कार्यकारिणी की सिफारिश पर साधारण सभा अस्थाई सम्बद्धता दे सकती है, जिस पर प्रतिवर्ष पुनर्विचार कर नवीनीकरण दिया जा सकता है एवं कार्यकारिणी की सिफारिश पर साधारण सभा किसी भी संस्था को उसकी कार्यप्रणाली, वार्षिक रिपोर्ट, कलात्मक गतिविधियां, आडिट रिपोर्ट आदि के आधार पर स्थाई सम्बद्धता दे सकती है ।
14. कला के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाएं यदि आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उस संस्था को अपने संविधान की प्रति, गत वर्ष की गतिविधियों का विवरण, गत दो वर्ष की आडिट रिपोर्ट, सदस्यों की सूची, भावी कार्यक्रमों का प्रस्ताव, अकादमी के निर्धारित आवेदन पत्र पर अन्तिम तिथि तक भेजना आवश्यक है । प्राप्त आवेदन पत्रों पर मा. अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति आर्थिक सहायता देने का निर्णय करेगी ।